

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 1972/माघ 4, 1893

No. 21] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 1972/MAGHA 4, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 24th January 1972*

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1971—March, 1972*  
(Amendment No. 56).

No. 11-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book for the year April 1971-March 1972, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71, dated the 30th April 1971 as amended from time to time.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below :—

| Page No. of the Red Book | Reference      | Amendments                                                                         |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 248                      | L. 4<br>Col. 3 | For the figure "70%" occurring under Col. 3, the figure "75%" may be substituted". |

The above amendment will be applicable for exports made on or after 1-1-1972.

M. M. SEN,  
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 जनवरी 1972

विषय :—अप्रैल 1971-मार्च 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 56)।

संख्या 11-आई०टी० पी० (पी० एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 44-आई०टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 30-4-1971 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971-मार्च 1972 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

| रेडबुक (वा० 2)<br>की पृष्ठ संख्या | संदर्भ                    | संशोधन                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | 2                         | 3                                                                                              |
| 248                               | एल. 4<br>-----<br>कालम--3 | कालम-3 में विद्यमान आंकड़े "70 प्रतिशत" के स्थान पर "75 प्रतिशत" आंकड़ा प्रतिस्थापित किया जाए। |

उपर्युक्त संशोधन 1-1-1972 को या इसके बाद में किए गए निर्यातों के लिए लागू होगा।

एम० एम० सेन,  
मुख्य, नियंत्रक, आयात निर्यात।